संख्या–4/1/2002टी.सी–।।–का–2/2012

प्रेषक,

एच.एल.गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव**, उत्तर प्रदेश शासन।
2. **समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी**, उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष**, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2

लखनऊ, दिनांक : 08 मई, 2012

विषय :– उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम,1994 की धारा–3(7)को निकाले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण की और उससे संबंधित या अनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए दिनांक 23.03.1994 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 प्रख्यापति किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा–3(7) को निकाले जाने हेतु "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 लागू किया गया है।

2– उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न अध्यादेश, 2012 के प्राविधान का सभी स्तरों पर, सभी लोक सेवाओं व पदों के सम्बन्ध में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चत किया जाय। यह भी अनुरोध है कि इस अध्यादेश के प्राविधान से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को भी अनुपलानार्थ कृपया अवगत करा दें।
संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(एच.एल.गुप्ता)
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–4/1/2002(1)टी.सी.।।–का–2/2012–तद्दिनांक

प्रतिलिपि सन्दर्भगत अध्यादेश 2012 की प्रति सहित निम्नलिखित अधिकारियों/ प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अध्यादेश के प्राविधान से कृपया अपने समस्त अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें:–

(1) प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सभी सम्बन्धित बोर्डो, निगमों, निकायों आदि में उपरोक्त अध्यादेश को लागू कराने के अनुरोध सहित।
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार से अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर) जिनमें किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विश्वविद्यालय भी सम्मिलित है, की सेवाओं और पदों मे उपरोक्त अध्यादेश के प्राविधान को लागू करने के अनुरोध सहित।
(4) प्रमुख सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को समस्त संबंधित सहकारी समितियों आदि में उक्त अध्यादेश के प्राविधान को लागू कराये जाने के अनुरोध सहित।
(5) प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग/आवास विभाग/पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित संस्थाओं आदि में उपरोक्त अध्यादेश के प्राविधान लागू कराने के अनुरोध सहित।
(6) राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी,उत्तर प्रदेश।
(7) प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर)के निबन्धक।
(8) निबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां, लखनऊ।
(9) समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश।
(10) समस्त महाप्रबन्धक,जल संस्थान,उत्तर प्रदेश।
(11) निदेशक,स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
(12) निदेशक,उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा लखनऊ।
(13) समस्त अध्यक्ष,जिला परिषद/नगर महापालिका/नगर पालिका/टाउन एरिया, उत्तर प्रदेश।
(14) निबन्धक, हाई कोर्ट, इलाहाबाद/लखनऊ बेन्च, लखनऊ।
(15) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश।
(16) प्रमुख सचिव/सचिव,विधान सभा/विधान परिषद,उत्तर प्रदेश।
(17) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(18) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(19) समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्री जी के सूचनार्थ ।
(20) वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(21) निदेशक, सूचना उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(22) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(एच.एल. गुप्ता)
विशेष सचिव।